

निर्वाचनों का संयोजन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
(प्रकृ 2 क)
(नियम 4 देखिए)

लोकसभा के लिए निर्वाचन
नामनिर्देशन-पत्र
बीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अस्थायी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए 12-पूर्विका संसदीय

निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ

अस्थायी का नाम राजेंद्र शर्मा उस्ता पिता/माता/पति का नाम सुखदेव उस्ता

उसका जन्म 12-पूर्विका संसदीय क्षेत्र-कस्बा-श्रीगंगानगर-राजस्थान

नाम 12-पूर्विका संसदीय क्षेत्र-कस्बा-श्रीगंगानगर का निर्वाचन क्षेत्र (मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक

नामावली के भाग सं० 211 (बी.सी. उस्ता) में क्रम सं० 1204 (कस्बा-श्रीगंगानगर) पर

प्रति है।

मेरा नाम श्रीगंगानगर उस्ता

है जो 12-पूर्विका संसदीय

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (मैं समाविष्ट

62-पूर्विका संसदीय

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)

की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 131 में क्रम सं० 1002 पर प्रति है

श्रीगंगानगर उस्ता
(प्रत्यापक के हस्ताक्षर)

तारीख 04.04.2014

हम घोषणा करते हैं कि इन लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित

को अस्थायी के रूप में नामनिर्दिष्टित करते हैं।

अस्थायी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका जन्म

10/HP/2049/20
1.36 PM
4/4/14
4/4/14
57

उत्तम नाम.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र * (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की

निर्वाचक नामावली के भाग

संख्यांक.....में कम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वकल्प अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रत्यापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रत्यापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	निर्वाचक नामावली का	उप भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	व्यक्ति
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10/10/2020



भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अर्थों इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 44 (गोवर्धन) वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे (ख)(i) या (ख)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में वर्धन सेवानुसारी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस रूप में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ख)(ii) मुझे इस निर्वाचन में वर्धन दल द्वारा खड़ा किया गया है, एलिक्टोरेकल अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अर्थों के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें)

और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान कम में (i) वर्धन (ii) वर्धन हैं।

(iii) वर्धन है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर वर्धन सेवानुसारी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोकसभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं** वर्धन /जनजाति का सदस्य हूँ जो वर्धन राज्य के उस

राज्य में के वर्धन सेवानुसारी (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोकसभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/रूप निर्वाचन

में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अस्थायी के रूप में**** नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 04.04.2014

(अर्थों के हस्ताक्षर)

वर्धन सेवानुसारी

— १०६

प्रतिपत्तिका

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

— १०६

यदि उत्तर "हां" में है, तो अप्सर्षी निम्नलिखित जानकारी देगा :

कारणों से दृष्टि किया गया है।

— १०६

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धोप ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के

अधिरोचना सं० का० आ० १३५(अ), तारीख ३ सितम्बर, २००२ द्वारा अंतस्थानित।

सिद्धोप ठहराया गया है, या

(ख) उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

(क) उपधारा (१) के अधीन किसी उपराध (अपराधों) के लिए, या

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा ८ की-

हां/नहीं

व्या अप्सर्षी को-

(अप्सर्षी द्वारा भरा जाए)

भाग ३क

१९६८ के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

कंप्रया ध्यान दें:- "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश,

लागा नहीं होगा।

***जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में

***यदि न होने वाले शब्द काट दीजिए।

***यदि लागू न हो तो इसे धारा को काट दीजिए।

"में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में

तारीख: 07.04.2014

स्थान: राजपुरा

(अधिकांश के हस्ताक्षर)

राजपुरा (क) का

(ख) पतिव आदेश (आदेशों की प्रकृति) कॉपी

(क) निपटारे की तारीख (तारीख) कॉपी

(XII) यदि उक्त अधील (अधीन) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनी) का निपटारा हो गया है, तो -

कॉपी

(XI) क्या उक्त अधील (अधीन) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनी) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित

कॉपी

(X) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (क) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अधील (अधीन) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए

(IX) फाइल की गई अधील (अधीन) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनी) की तिथि तिथियाँ कॉपी

(VIII) क्या उपरोक्त दोषसिद्धियाँ (दोषसिद्धियों) के निरूपण को ईई अधील (अधीन) / पुनरीक्षण फाइल किए गए हैं : हाँ / नहीं कॉपी

(VII) कारणों से निर्मित की तारीख (तारीख) कॉपी

(VI) अधिलेखित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपरोक्त के कॉपी

(V) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनोंने) अधिलेख को सिद्धोष तहरया था। कॉपी

(IV) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / तारीख कॉपी

सिद्धोष तहरया गया था। कॉपी

(III) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे

(II) जिला (जिले) कॉपी

*नाम न होने वाले शब्द काट दीजिए

(छिद्र)

रिटर्निंग अधिकारी

तारीख

निम्नलिखित रूप में विवरण देना है:-

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षण कर लिया है और मैं

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का विवरण

पृष्ठ 5

रिटर्निंग अधिकारी

तारीख

परिवर्तित किया गया।

यह नामनिर्देशन सूची/मैंने कार्यालय में (तारीख) को (वर्ग) * अस्थायी/प्रत्यापक द्वारा

नामनिर्देशन-पत्र की कम सं०

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

पृष्ठ 4

